

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2021/2836

दिनांक: 02/07/2021.

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका)
अलवर, जयपुर, जालोर, नागौर, राजसमन्द,
सिरोही एवं टोक

विषय:-नगरीय निकायों के उप चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम।
महोदय,

आयोग द्वारा नगरीय निकायों में दिनांक 15.06.2021 तक रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराये जाने है। उप चुनाव हेतु रिक्त पदों के लिए निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार की जानी है। जिन रिक्त पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की जानी है उनकी सूची परिशिष्ट 'A' पर संलग्न है।

मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 7 से 15 के प्रावधान लागू होंगे। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु संदर्भ तिथि 01.01.2021 के आधार पर तैयार करवाई गई विधानसभा की मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.01.2021 को किया गया है, के डेटाबेस के आधार पर प्रारूप तैयार कराकर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर आगे की कार्यवाही संपादित की जाएगी।

प्रारूप निर्वाचक नामावलियां तैयार करने हेतु विधानसभा डेटाबेस को नगरीय निकायों के वार्डवार विभक्त कर प्रपत्र ए-1 तैयार करने, ई-सूची पर अपलोड/प्रोसेस करने, चैक लिस्ट तैयार कर वैरीफाई करने, आवश्यक होने पर संशोधित प्रपत्र ए-1 तैयार कर ई-सूची पर अपलोड/प्रोसेस करने इत्यादि के लिए कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

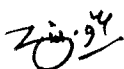
क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए-1 को तैयार कर अपलोड करने की अंतिम तिथि	08.07.2021 (गुरुवार)
2.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	09.07.2021 (शुक्रवार)
3.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	10.07.2021 (शनिवार)
4.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	14.07.2021 (बुधवार)
5.	संशोधित प्रपत्र-1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हो तो)	15.07.2021 (गुरुवार)
6.	संशोधित प्रपत्र-1 को Process करने की अंतिम तिथि	
7.	प्रपत्र ए-1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	17.07.2021 (शनिवार)

उप चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा:-

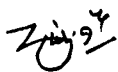
क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	19.07.2021 (सोमवार) को
2.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28.07.2021 (बुधवार) को
3.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	02.08.2021 (सोमवार) तक
4.	पूरक सूचियों की तैयारी	05.08.2021 (गुरुवार) तक
5.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	06.08.2021 (शुक्रवार) को

निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश :-

1. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा-13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2021 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र होगा।
2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम नगरीय निकाय में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि नगरीय निकाय क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थान/स्थानों से उसका नाम हटा दिया जाए।
3. किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
4. किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष मतदाता के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।
5. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड-8 के अनुसार मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व संबंधित नगरीय निकाय कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम दो स्थानों पर किया जायेगा। मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्ररूप-2 में विहित किया हुआ है। वार्डों की निर्वाचक नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और नगरीय निकायों के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखी जावेगी।
6. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के बाद दावे व आपत्तियां दि. 19.07.2021 से 28.07.2021 के मध्य प्ररूप 3, 5 एवं 6 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियां प्राप्त कर सकेंगे। प्रगणको को भी पदाभिहीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
7. उपरोक्त आदेश के खण्ड-9 के अनुसार दावें व आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निश्चित है और इन्हें निर्धारित प्ररूप-3, 5 और 6 में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्ररूप 3, 5 और 6 का वितरण आयोग के परिपत्र सं. प.4(1)(6)नपा/रानिआ/94/300 दिनांक 14.10.94 के अनुसार नि:शुल्क किया जाए। दावें व आपत्तियां डाक द्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा में नाम जोड़ने के लिए अधिक मात्रा (Bulk) में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे प्राप्त दावों व आपत्तियों की विस्तृत एवं गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जाए।
8. पदाभिहीत अधिकारी अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर मध्याह्न पश्चात 3 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः उपस्थित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा मास्क एवं सैनेटाईजर का आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा। दावें एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा भी मतदान केन्द्र परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। दावें एवं आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित की जाए।



9. मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि दावे व आपत्तियाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहीत अधिकारियों को भी दि. 19.07.2021 से 28.07.2021 के मध्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पदाभिहीत अधिकारी भी उसी दिन प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची मतदान केन्द्र पर प्रकाशित करेगा साथ ही मूल दावे व आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित प्ररूप 8, 9, 10 निर्धारित प्ररूप में सूची के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा। पदाभिहीत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावों व आपत्तियों व अन्य प्रकार से प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्वाचको का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड-12 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
10. दावों व आपत्तियाँ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दावों व आपत्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास उसी दिन भेज दिया जावेगा।
11. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड-12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार कर ई-सूची (e-suchi) पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद पूरक सूची का लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियाँ कराकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 में विहित प्ररूप-7 में किया जावेगा।
12. निर्वाचक नामावली में अंकित मृत एवं दोहरे मतदाताओं को चिह्नित कर उनका नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही उक्त खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने संबंधी प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत की जाए। मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लें।
13. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियाँ, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा खण्ड-19 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
14. मतदाताओं के वार्ड/भागवार आंकड़े प्रगणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेगे। इन आंकड़ों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली में पत्रित किया जावेगा तथा निर्धारित प्रपत्र पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावों/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा जिसमें नगरीय निकाय निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकड़े यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरुष एवं तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे।
15. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उक्त रजिस्टर में संकलित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को ई-सूची पर अपलोड कर ऑन लाईन भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से नहीं रह जाए व अपात्र का नाम सम्मिलित नहीं हो।



16. आयोग के परिपत्र सं० 4(1)(6) नपा/रानिआ/94/299 दिनांक 14.10.94 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावलियों का एक-एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। यदि निर्वाचक नामावली में नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि इन संस्थाओं के 15.06.2021 के बाद आज दिनांक तक कोई रिक्ति उत्पन्न हो गई हो तो उन क्षेत्रों की मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण भी उक्त कार्यक्रमानुसार करवा लिया जावे एवं ऐसी रिक्तियों की सूचना आयोग को भी प्रेषित की जावे।

निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के दिन प्रकाशन की सूचना आयोग को उसी दिन ई-मेल के माध्यम से आवश्यक रूप से प्रेषित की जाए।

विशेष नोट — चूंकि कोविड-19 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अतः संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से की जाए:-

1. निर्वाचक नामावली तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नियोजित कार्मिकों द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान मास्क लगाना आवश्यक होगा एवं समय-समय पर सैनेटाईजर का उपयोग किया जाएगा।
2. मतदाता सूची से संबंधित कार्य के लिए आने वाले व्यक्तियों एवं कार्मिक द्वारा प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु कम से कम छः फीट (2 गज) की दूरी रखी जाएगी।
3. मतदाता सूची की तैयारी हेतु नियोजित यदि किसी कार्मिक द्वारा कोरोना वायरस के लक्षण संबंधी बीमारी (बुखार, खांसी, जुकाम, श्वास लेने में परेशानी आदि) के बारे में सूचित किया जाए तो उसे तुरन्त प्रभाव से उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाए।
4. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी गाईडलाइनों की पूर्ण रूपेण पालना की जाए।

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2021/2837-41

दिनांक: 02/07/2021-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबंधक, रील जयपुर।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राज0, जयपुर।
5. लेखा/स्टोर/सांख्यिकी/संस्थापन शाखा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

28.9.21
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

नगरीय निकाय उपचुनाव हेतु रिक्तियों का विवरण

परिशिष्ट 'A'

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरनिगम/नगरपरिषद /नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.	वर्गीकरण	रिक्ति का कारण
1.	अलवर	न.प. अलवर	24	अपिव महिला	मृत्यु
2.	जयपुर	न.नि. जयपुर हैरिटेज	57	अ.जा.	मृत्यु
3.	जयपुर	न.नि. जयपुर हैरिटेज	97	अ.जा. महिला	मृत्यु
4.	जालोर	न.पा. भीनमाल	35	अ.जा.	त्याग पत्र
5.	नागौर	न.पा. मकराना	24	सामान्य महिला	मृत्यु
6.	राजसमन्द	न.पा. नाथद्वारा	24	सामान्य	मृत्यु
7.	सिरोही	न.प. सिरोही	29	सामान्य महिला	मृत्यु
8.	टोंक	न.प. टोंक	42	अ.जा.	त्याग पत्र
9.	टोंक	न.प. टोंक	28	सामान्य	मृत्यु

20.07